न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्याः—481/2017 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2017/00512)

राजबहादुर पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह जाति ठाकुर निवासी नगला केहरी तहसील व थाना वसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 21.7.2017 व सिलेसिले निरस्त किये जाने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 66/1975

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः 10.7.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 21.7.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12. 2016 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 6.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबध में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई

। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक ह–1 ( ) धौल0/आर्म्स/16/2016 दिनांक 6.1.2017 पेश की, जिसमें अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा की है। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.7.2017 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 66/75 को निरस्त कर पुलिस थाना बसेडी को मूल अनुज्ञापत्र जप्त करने के आदेश प्रदान किये गये है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 66/75 जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया है जो काफी पुराना है । जिसे अपीलान्ट नियमित नवीनीकृत कराता रहा है। अनुज्ञापत्र जारी होने के दिनांक से आज दिनांक तक अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञापत्र की समस्त शर्तों की नियमानुसार पालना की गई है। कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग भी नहीं किया है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था जिसको आगामी वर्षों के लिये नवीनीकृत कराने हेतु नियमानुसार समयावधि में प्रार्थना पत्र दिनांक 6.12.2016 को प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 6.1.2017 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध मु0नं0 287 धारा 447,504 ता0हि0 में मु0सं0 188/93 धारा 323,341,325,307 ता0हि0 एवे मु0सं0 140/91 धारा 447 ता0हि0 दर्ज होने का हवाला देते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकृत न किये जाने की सिफारिश की जिसके आधार पर बिना सुनवाई बिना परीक्षण अपीलधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि उपर्युक्त सभी मुकदमों में अपीलान्ट सक्षम अदालत से बरी हो चुका है। बरी होने बाबत तथ्य अपीलान्ट की ओर से तहत अदालत के समक्ष जरिये जबाब/शपथपत्र अवगत करा दिया गया था बाबजूद इसके अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। तहत अदालत ने अपीलान्ट के जबाब पर पुनः जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से टिप्पणी दिनांक 27.5.2017 प्राप्त की गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि मु0नं0 140/91 में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.1997 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें अपीलान्ट को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है तथा मु0नं0 188/93 में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.1.1995 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें अपीलान्ट को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है तथा मु0नं0 287/16 न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन इसकी भी वर्तमान स्थिति यह है कि यह प्रकरण भी माननीय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बसेडी जिला धौलपुर द्वारा दिनांक 25.1.2018 को निर्णित किया जा चुका है तथा इस निर्णय में भी अपीलान्ट को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जा चुका है। जिसकी निर्णय प्रति प्रस्तुत की जा रही है। इस तरह अपीलान्टके खिलाफ वर्तमान में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है जिनका जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है वे सभी झुठे मनगढंत थे उन सभी मुकदमो में अपीलान्ट को सक्षम अदालत द्वारा व इज्जत बरी किया चुका है। लिहाजा अब अपीलान्ट के चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाना न्यायिक नहीं रहता है और न ही अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में अब कोई कानूनी अडचन शेष रही है चूंकि वर्तमान में अपीलान्ट के खिलाफ न कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है नहीं किसी मुकदमें में अपीलान्ट को सजा मिली है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को अपीलाधीन आदेश के जरिये निरस्तीकरण से बहाल किया जाना मुनासिब रहता है। वैसे भी अपीलान्ट ने कभी भी तहत अदालत के आदेशों की अवहेलना की है और न ही कभी लाईसेंसी हथियार का दुरूपयोग किया है। तहत अदालत ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्य को नजर–अंदाज करके अहम कानूनी भूल की है। बाबजूद इसके तहत अदालत ने बिना कोई जांच किये, अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट एक शांतिप्रिय सामाजिक व्यक्ति है। जिसने कभी भी अपने शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है न ही भविष्य में कोई मंशा रखता है। अपीलान्ट ने तो केवल अपने परिवार एवं आत्मरक्षा के लिये अनुज्ञापत्र ले रखा है अपीलान्ट एक घर गृहस्थी के साथ सामाजिक जीवन यापन कर रहा है यदि अपीलान्ट की पृष्ठभूमि आपराधिक होती तो आये दिन थाना हाजा पर मुकदमें दर्ज होते लेकिन ऐसा कतई नहीं है। चूंकि अपीलधीन आदेश न्याय, नियम, रिकार्ड, तथ्यों से परे अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया था जिसका इल्म होते ही अपीलान्ट ने नकल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 21.9.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2017 को प्राप्त हुई। अतः तारीख जानकारी से अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जावे जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय 21.7.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.7.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 6.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबध में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक ह–1 ( ) धौल0/ आर्म्स/ 16/2016 दिनांक 6.1.2017 पेश की, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध मु0नं0 287 धारा 447,504 ता0हि0 में मु0सं0 188/93 धारा 323,341,325,307 ता0हि0 एव मु0सं0 140/91 धारा 447 ता0हि0 दर्ज होने का हवाला देते हुये अपीलान्ट की प्रवृत्ति को आपराधिक पृष्ठभूमि को होना मानते हुये अनुज्ञापत्र नवीनीकृत न किये जाने की सिफारिश की गई। चूंकि जिला पुलिस अधीक्षक जिले में शान्ति व्यवस्था कायम किये जाने हेतु एक सक्षम अधिकारी है जिनकी रिपोर्ट के आधार पर तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण नियमानुसार लोकहित में आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि के मध्यनजर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया है जो न्यायोचित रहता है। इसके अलावा अपीलान्ट का यह कहना कि सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया गलत है क्यों कि तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट स्वयं के द्वारा जबाब पेश किया गया है। जो पत्रावली पर मौजूद है। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से दो बार रिपोर्ट प्राप्त की गई दोनों रिपोर्टों में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की गई है। संदिग्ध आचारण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तथा शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने के दृष्टिगत तहत अदालत द्वारा बखूबी न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है जो उचित है। इसके अलावा यह अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य रहती है क्यों कि अपीलान्ट ने कोई तथ्यात्मक कारण अपने दफा–5 प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर का आदेश दिनांक 21.7.2017 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नियमानुसार दिनांक 21.7.2017 तक नवीनीकृत था, जिसे आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 6.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा दौराने नवीनीकरण कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से दिनांक 6.1.2017 प्राप्त की गई। तहत अदालत द्वारा संभवतः स्वयं की ओर से कोई जांच न करते हुये उक्त रिपोर्ट में अंकित मुकदमों का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हमारी विनम्र राय में एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन महत्वपूर्ण होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

तहत अदालत ने अपीलान्ट के जबाब पर पुनः जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से टिप्पणी दिनांक 27.5.2017 प्राप्त की गई जिसमें स्पष्ट किया गया कि मु0नं0 140/91 में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.1997 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें अपीलान्ट को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है तथा मु0नं0 188/93 में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.1.1995 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें अपीलान्ट को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है तथा मु0नं0 287/16 न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन इसकी भी वर्तमान स्थिति यह है कि यह प्रकरण भी माननीय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बसेडी जिला धौलपुर द्वारा दिनांक 25.1.2018 को निर्णित किया जा चुका है तथा इस निर्णय में भी अपीलान्ट को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जा चुका है। जिसकी निर्णय प्रति अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि मु0सं0 287/93 का निर्णय 25.1.2018 में हुआ है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.7.2017 में पारित किया गया था ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक है कि दौराने पारित अपीलाधीन आदेश इस निर्णय की जानकारी तहत अदालत को नहीं हो सकती थी चूंकि अब निर्णय दिनांक 25.1.2018 सक्षम अदालत द्वारा पारित किया जा चुका है जो वर्तमान में आस्तित्व में जिसको नजर–अंदाज किया जाना भी मुनासिब नहीं रहता है । यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान में अपीलान्ट के खिलाफ न तो कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है न ही वह किसी प्रकरण में सजायाप्ता है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना एक अलग बात है और उस मुकदमें में दोषी पाया जाना दूसरी बात है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे दिया जाये तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। चूंकि अपीलाधीन आदेश में जिन तीन मुकदमों का जिक्र किया गया है वह वर्तमान में सक्षम अदालत द्वारा अपीलान्ट के हक में निर्णित किये जा चुके है। परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी है लिहाजा इस प्रकरण में पुनः नये सिरे से सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना लाजिमी रहता है और यह प्रकरण रिमाण्ड योग्य ही रहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.7.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर देकर वर्तमान तथ्यों एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 5.7.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official